



दिनांक 04.06.2021

प्रेस विज्ञप्ति 04/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना खेकडा

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 03.06.2021 को थाना खेकडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रटौल डगरपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त हर्ष उर्फ काले घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खेकडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2021 धारा 394/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-हर्ष उर्फ काले निवासी अगरोला थाना ट्रॉनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस।

2-01 मोटर साइकिल।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 04.06.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्टेशन रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद अयोध्या के विभिन्न थानों में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना इनायतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 475/2020 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रमेश कुमार निवासी अकमा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद इटावा/थाना इकदिल

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.06.2021 को थाना इकदिल व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मानिकपुर रोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हेमंत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 331/2012 धारा 420/467/468/472 भादवि व 60 आबकारी एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इकदिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हेमंत निवासी इंद्रपुरी थाना किशनगंज जनपद इंदौर मध्य प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर विस्तार

• 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.06.2021 को थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रवीण को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं, गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोमतीनगर विस्तार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर विस्तार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रवीण निवासी रामआसरे पुरवा खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।

जनपद बलिया/थाना रसड़ा

- 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 03.06.2021 की रात्रि थाना रसड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामनगर नहर तिराहा पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोछू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बलिया के विभिन्न थानो में धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मोछू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा निवासी भरौली थाना नरही जनपद बलिया।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद देवरिया/थाना सलेमपुर

- 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.06.2021 को थाना सलेमपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरैया तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद देवरिया के विभिन्न थानों में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं, गिरफ्तार अभियुक्त थाना सलेमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सलेमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रदीप निवासी नदावर मझौलीराज थाना सलेमपुर जनपद देवरिया

जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 06 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 03.06.2021 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायपुर सरसावा रोड के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—सैन्की 2—लोकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिनके द्वारा जनपद सहारनपुर व हरियाणा प्रान्त से दो पहिया वाहनो की चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सरसावा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सैन्की निवासी कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

2—लोकेश निवासी वाजिदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 01 जीवित कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना छाता

- तेल पाइप लाईन से चोरी करने वाले 07 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के लगभग 85 हजार 830 रुपये कीमत का 01 हजार लीटर डीजल
 - 02 लाख 11 हजार रुपये नगद
 - वेलडिंग मशीन, केवल, वाल्व, वेलडिंग की छड़ आदि
- घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 3/4.06.2021 की रात्रि थाना छाता व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रनवारी के पास से तेल पाइप लाईन में वाल्व लगाकर चोरी करने वाले 07 अभियुक्तों 1—दलवीर 2—गुड्डा 3—राजेश 4—भोला उर्फ विपिन 5—मोन्टू 6—भूषण उर्फ बृजभूषण 7—आनन्द को गिरफ्तार कर तेल चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 85 हजार 830 रुपये कीमत का 01 हजार लीटर डीजल, 02 लाख 11 हजार रुपये नगद, वेलडिंग मशीन, केवल, वाल्व, वेलडिंग की छड़ आदि, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। जिसमें अभियुक्त दलवीर एवं अभियुक्त गुड्डा के विरुद्ध जनपद मथुरा, औरैया, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में पी0एम0पी0 एक्ट, विस्फोटक पदार्थ एक्ट आदि के 04—04 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-दलवीर निवासी पुष्पांजली द्वारका थाना रिफाईनरी जनपद मथुरा।
- 2-गुड्डा निवासी शान्ति नगर दामोदरपुरा थाना सदर जनपद मथुरा।
- 3-राजेश निवासी तहसील के पास किरावली थाना अछनेरा जनपद आगरा।
- 4-भोला उर्फ विपिन निवासी मढी थाना राया जनपद मथुरा।
- 5-मोन्टू निवासी ओरंगाबाद थाना सदर जनपद मथुरा।
- 6-भूषण उर्फ बृजभूषण निवासी रनवारी थाना छाता जनपद मथुरा।
- 7-आनन्द निवासी रनवारी थाना छाता जनपद मथुरा।

बरामदगी

- 1-चोरी के लगभग 85 हजार 830 रुपये कीमत का 01 हजार लीटर डीजल।
- 2-02 लाख 11 हजार रुपये नगद।
- 3-वेलडिंग मशीन, केवल, वाल्व, वेलडिंग की छड़ आदि।
- 4-घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन।
- 5-01 दो पहिया वाहन।

जनपद अमरोहा/थाना गजरौला

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर
 - 02 जीवित 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर
 - शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 04.06.2021 को थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल सफारी होटल के सामने खण्डर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02

अभियुक्तों 1—मुन्शी उर्फ बाबू 2—चेतराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मुन्सी उर्फ बाबू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद अमरोहा के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुन्शी उर्फ बाबू निवासी कुटी दौलतपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

2—चेतराम निवासी ढकिया खादर थाना रहरा जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—02 जीवित 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बिजनौर/थाना हीमपुर दीपा

- मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- 250 ग्राम अवैध चरस
- चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 04.06.2021 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मादक पदार्थ तस्कर फौज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस, चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर, जनपद मेरठ के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोटर साइकिल थाना लिसाढी गेट जनपद मेरठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 227/2021 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हीमपुर दीपा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फैज निवासी मोहल्ला बरबलान थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—250 ग्राम अवैध चरस।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि।

एस0टी0एफ0—जनपद अलीगढ़ से रू0 25,000/— के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी कुलदीप चौहान गिरफ्तार।

दिनांक 03—06—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद अलीगढ़ से रू0 25,000/—के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी कुलदीप चौहान पुत्र ओमवीर सिंह निवासी छिडावली थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़, को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

कुलदीप चौहान पुत्र ओमवीर सिंह निवासी छिडावली थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

बरामदगी:

- 1— 01 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर
- 2— 04 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज 315 बोर
- 3— 01 मोटर साइकिल अपाचे
- 4— 650 रूपये

गिरफ्तारी का स्थान व समय

माछुआ पुल के पास थाना हरदुआगंज, अलीगढ़ दिनांक 03.05.2021 समय लगभग 18.25 बजे

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0 206/2021 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ में वांछित रू0 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी कुलदीप चौहान पुत्र ओमवीर सिंह थाना हरदुआगंज अलीगढ़ क्षेत्रान्तगत माछुआ पुल पर आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके एस0टी0एफ0 टीम स्थानीय पुलिस को साथ लेकर माछुआ पुल थाना क्षेत्र हरदुआगंज पहुँचकर वांछित कुलदीप का इन्तजार करने लगे, तभी कस्बा-जलाली की ओर से एक व्यक्ति मोटर साईकिल अपाचे से आता हुआ दिखाई दिया, मुखबिर द्वारा पहचान तस्दीक करने पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह व्यक्ति मोटर साईकिल पीछे की तरफ मोड़कर भागने लगा, जिस पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा साहस तथा उच्चकोटि की व्यवसायिक दक्षता का उपयोग कर घेराबन्दी करते हुए पकड़ लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ करने पर अभियुक्त कुलदीप चौहान पुत्र ओमवीर सिंह निवासी उपरोक्त ने बताया कि वह थाना हरदुआगंज अलीगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/21 धारा-147/148/149/323/504/506/307 भादवि में नामजद होने से फरार चल रहा था। जिसके गिरफ्तारी हेतु रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित था।

अभियुक्त कुलदीप चौहान पुत्र ओमवीर सिंह का ज्ञात आपराधिक इतिहास।

क.सं	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	203/01	25 आर्म्स एक्ट	हरदुआगंज	अलीगढ़
2	282/01	323/504/506/ भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ़
3	110/03	457/380 भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ़
4	02/04	14/102 द0प्र0स0 411/419 भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ़
5	74/04	110 जी द0प्र0स0	हरदुआगंज	अलीगढ़
6	129/04	392 भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ़
7	215/04	394 भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ़
8	216/04	379/411 भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ़

9	126 / 04	03 गुण्ड एक्ट	हरदुआगंज	अलीगढ
10	04 / 08	379 / 354 / 504 / 506 भादवि व 3(1)11 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट	हरदुआगंज	अलीगढ
11	101 / 07	2 / 3 गैग0 एक्ट	हरदुआगंज	अलीगढ
12	183 / 08	03 गुण्ड एक्ट	हरदुआगंज	अलीगढ
13	407 / 08	110 जी द0प्र0स0	हरदुआगंज	अलीगढ
14	196 / 12	03 गुण्ड एक्ट	हरदुआगंज	अलीगढ
15	235 / 15	506 भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ
16	36 / 17	110 जी द0प्र0स0	हरदुआगंज	अलीगढ
17	128 / 18	323 / 336 / 452 / 504 / 506 भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ
18	119 / 19	323 / 336 / 452 / 504 / 506 भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ
19	206 / 21	147 / 148 / 149 / 323 / 504 / 506 / 30 7 भादवि	हरदुआगंज	अलीगढ
20	228 / 21	3 / 25 आर्म्स एक्ट	हरदुआगंज	अलीगढ

गिरफ्तार अभियुक्त को हरदुआगंज अलीगढ पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में व वरामदगी के आधार पंजीकृत कराये गये अभियोग मु0अ0सं0 228 / 21 धारा-03 / 25 आर्म्स एक्ट मे दाखिल किया गया है तथा अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
